न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), राम सनेहीघाट, कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

मूलवाद संख्या– /2021

CNR No. UPBB180002932021

श्री केशन आदि बनाम ऊदल आदि

18.11.2021

प्रार्थना–पत्र ग–6 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र ग–7 पर वादीगण के विद्वान अधिवक्ता को एकपक्षीय रूप से सुना गया।

प्रस्तुत वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा (प्रोहिबेटरी) हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र ग–6 में वादीगण द्वारा यह प्रार्थना की गयी है कि दौरान मुकदमा जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को मना कर दिया जावे कि प्रतिवादीगण खिलाफ कानून जबरदस्ती वादीगण के सहन में व्यक्तिगत रास्ता जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में ABCD से दर्शाया गया है, को न निकालें और वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा व दखल में किसी प्रकार की कोई बेजा मदाखिलत व मजाहिमत न करें और दवामन बाज रहें। वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में सूची ग–9 से आधार की छायाप्रति ग–10 दाखिल किये गये हैं।

वादीगण द्वारा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा नजरी में विवादित जगह को लाल स्याही व अक्षर ABCD से दर्शाया गया है। उक्त के अवलोकन से विदित होता है कि जिस विवादित जगह के बावत अनुतोष याचित है, उसके निकट प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 4 के मकान भी स्थित दर्शाये गये हैं। विवादित जगह का कोई विनिर्दिष्ट परिमाप भी नहीं दर्शाया गया है। अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से इस स्तर पर बिना प्रतिवादीगण को सुने एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी वांछित पैरवी अन्दर तीन दिन करे। पत्रावली वास्ते आपत्ति/निस्तारण प्रार्थना पत्र ग–6 दिनांक 17.12.2021 को पेश हो।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।

18.11.2021

प्रार्थना–पत्र ग–11 पर सुना। न्यायहित में स्वीकृत। वादीगण पैरवी करे। बाद पैरवी अमीन को रिट जारी हो। अमीन पक्षकारों को सूचित कर मौके का निरीक्षण करे और अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि तक न्यायालय में दाखिल करे।

(अनुजया कृष्णा)
सिविल जज (जू० डि०)
कोर्ट नं0–14, बाराबंकी।